लैंगिक अपराध से पीड़ित बालकों के लिए न्याय पाने के दौरान यह बातें जान लें

मौके पर पहचान करना

मौके पर पहचान तब होती है जब बालक को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां अपराध किया गया था (अपराध का स्थान)। बालक से उम्मीद की जाती है कि वे सटीक स्थान की पहचान करे और इन स्थानों पर हुई घटनाओं का वर्णन करे।

यह 5 सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में होता है,जो गवाहों (पंचनामा) के रूप में हस्ताक्षर करते हैं।

प्रक्रिया के लिए लिया गया समयः

स्थान तक पहुँचने के लिए की गयी यात्रा और प्रतीक्षा अवधि की गिनती करते हुए इस प्रक्रिया मे २ से ५ घंटे लग सकते हैं।

यह किस चरण में होता है?

प्रारंभिक शिकायत की रिकॉर्डिंग के 30-60 दिनों के बाद पहचान परेड किसी भी समय हो सकती है।

क्या यह अनिवार्य है?

हाँ। मौके पर पहचान के समय बालक का बयान अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में काफी मदद कर सकता है।

मौके पर पहचान परेड कहाँ होती है?

मौके पर पहचान उस स्थान पर होती है जहां अपराध किया गया था।

यह सब चीजें अपने साथ रखें

बालके के लिए खाना और पानी रखें।

अगर बालक को इंतजार करना पड़ता है तो रंग भरने वाली किताबें, बच्चों की किताबें, कुछ खिलौने और वीडियो गेम की मदद से वह बेचैन नहीं होते।

यदि आप बालक के माता-पिता हैं, तो एक मान्य पहचान प्रमाण रखें।

यदि आप बालक की सहायता करने वाले भरोसेमंद व्यक्ति हैं या सपोर्ट पर्सन हैं, तो वैध पहचानप्रमाण के साथ आपको सपोर्ट पर्सन के रूप में नियुक्ति के लिए सी.डब्ल्यू.सी द्वारा जारी आदेश रखें।

मौके पर पहचान के बारे में बालक से कैसे बात करें

उन्हें प्रक्रिया का वर्णन करें ताकि बालक को पता होना चाहिए कि क्या उम्मीद है।

उन्हें बताएं कि उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहां घटना हुई थी। उन्हें बताएं कि उन्हें उन जगहों को इंगित करने की आवश्यकता होगी जहां अपराध हुए और घटना को बताना होगा।

उन्हें बताएं कि आप उपस्थित होंगे,साथ ही साथ अन्य विश्वसनीय वयस्क और पुलिस भी वहां रहेगी। उन्हें आश्वासन दें की वह बिल्कुल सुरक्षित होंगे।

उन्हें बताएं कि इस प्रक्रिया से पुलिस को अभियुक्त को पकड़ने में मदद मिलेगी। सुनें कि बालक को क्या कहना है और सकारात्मक और उचित रूप से जवाब दें।

मौके पर पहचान से पहलेः

सुनिश्चित करें कि पुलिस पुलिस वाहन या वर्दी में न आए।

मौके पर पहचान के दौरानः

प्रक्रिया के दौरान बालक के साथ रहने के लिए अपने लिए और भरोसेमंद वयस्क के लिए पुलिस से अनुमति लीजिए। यदि आप बालक की सहायता करने वाले भरोसेमंद व्यक्ति हैं या सपोर्ट पर्सन हैं, तो वैध पहचान प्रमाण के साथ आपको सपोर्ट पर्सन के रूप में नियुक्ति के लिए सी.डब्ल्यू.सी द्वारा जारी आदेश रखें।

मौके पर पहचान के दौरान,यह देखा गया है कि आरोपी के मित्र/रिश्तेदार/शुभचिंतक एकत्र हो सकते हैं और बालक को धमकाने का प्रयास कर सकते हैं।

सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि वह इससे निपट लें।

मौके पर पहचान आरंभ होने के दौरान बालक को प्रेरित ना करें। केवल पुलिस को सवाल पूछने की अनुमति है।

यदि बालक पहचान करने में तनाव महसूस कर रहा है,तो पुलिस को बाद की तारीख के लिए कहें।

मौके पर पहचान के बाद

बालक को पार्क या कहीं और ले जाये जहां वह आराम कर सके और अपने दिमाग को केस से दूर रख सके।

बालक को खुलकर बोलने और प्रक्रिया को अनुभव करने की अनुमति दें। धीरज से सुनें और नरमी से और उचित रूप से प्रतिक्रिया दें।

यदि आवश्यक हो तो एक पेशेवर परामर्शदाता के साथ सत्र की व्यवस्था करें।